



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org



क्रमांक- भाराराप्रा/जय/सीकर/एन.एच. 52 & 58/2025-26/ 4077

दिनांक 18.12.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण Invitation Of Public Comments

विषय:- राजस्थान बॉर्डर-फतेहपुर-सालासर खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर न्यामा गांव के पास पानी की पाइपलाइन की क्षेत्रिक क्रॉसिंग की अनुमति के संबंध में।

Sub:- Regarding permission for horizontal crossing of water pipeline near Nyama village on National Highway 58 of Rajasthan Border-Fatehpur-Salasar section.

Ref:-(1) IE Office letter no. 324 dated 28.11.2025

(2) PHED Ratangarh Churu letter no 391-395 dated 27.10.2025

(3) This office letter no. 2913 dated 09.10.2025

महोदय,

सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि अधीक्षण अभियन्ता (परि.) जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड रतनगढ़ चूरू ने पत्र दिनांक 27.10.2025 द्वारा विषयगत कार्य की अनुमति के सम्बंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय भाराराप्रा जयपुर ने 25.10.2024 के पत्र के माध्यम से पीआईयू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ और आर-पार सार्वजनिक और औद्योगिक उपयोगिता सेवाओं के आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में टिप्पणियों के लिए रखने का निर्देश दिया है।

It is to inform all concern that Executive Engineer Public Health Engineering Department Project Div. Ratangarh Churu letter dated 27.10.2025 has submitted a proposal for the subjected work. Further, Regional office NHAI Jaipur vide letter dated 25.10.2024 has directed PIU's to put out the application of Public and Industrial Utility Services along and across National Highway in the public domain for 30-days for seeking comments.

2. मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015 एस एण्ड आर(आर) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार "दावों और आपत्तियों (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामाज्य सार्वजनिक हित के आधार पर) के लिए आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।"

As per para-4 of Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015S&R(R) dated 22.11.2016 "The application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest)"

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त प्रस्ताव पर जनता की टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं तथा इन्हें अपलोड करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए, इसके बाद किसी भी टिप्पणी पर विचार नहीं किया जाएगा।

In view of above, the comments of public are invited on captioned proposal and the same should reach to below mentioned address till 30 days from the date of uploading, beyond which no comments will be considered.

Komal

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई-जयपुर
डी-148, आरएसईबी सब स्टेशन के पीछे,
वैशाली नगर जयपुर (राज.) -302021
फोन: 91-141-4026465, ईमेल:-Jai@nhai.org

National Highways Authority of India
Project Implementation Unit-Jaipur
D-148, Behind RSEB Sub Station,
Vaishali Nagar Jaipur(Raj.)-302021
Phone: 91-141-4026465, E-mail: Jai@nhai.org

Raj
परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई-जयपुर

V. Somay

प्रतिलिपि-

1. वेब एडमिन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचआई वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi – for uploading in NHAI's website
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
Director, NIC, New Delhi – for uploading in Ministry's website
3. क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
Regional Officer, NHAI Jaipur for information please.
4. अधीक्षण अभियन्ता (परि.) जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड रतनगढ़ चूरू को सूचनार्थ प्रेषित।
Executive Engineer Public Health Engineering Department Project Div. Ratangarh Churu for information.

212